FROM No.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

दालत..मुकाम..

..........देवीसिंह..........बनाम..........तहसीलदार गिडा

किस्म मुकदमा..रीवाद 88 Rt Act..................नं..........107..........सन्..2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/7/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ....खेताराम जारवड.... ने यह प्रार्थना पत्र/दावा/अपील धारा ....88 Rt Act.... राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ....~~15~~ 22/7/2020....को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
22/07/2020	वादी वकील उपस्थित / प्रतिवादीगण का सम्मन तामिल होकर तामिल अप्राप्त / श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 24/08/2020 को पेश हो / (हस्ताक्षर)	
24/08/2020	वादी वकील उपस्थित / प्रतिवादीगण तहसीलदार गिडा का सम्मन तामिल होकर तामिल अप्राप्त / श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 30/09/2020 को पेश हो / (हस्ताक्षर)	

30/09/2020

वादी वकील उपस्थित / प्रतिवादीगण,
तहसीलदार गिड़ा का सम्मन तामिल शुदा प्राप्त
जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन
अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल
इल्तवा होकर आगामी दिनांक 15/12/2020 को पेश हो।

15/12/2020

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाए
रक्षकारान उपस्थित । पीठासीन अधि
कारी दिगर कार्यो मे व्यस्त हैं। मिसल
इल्तवा होकर दिनांक 04/01/21 को
पेश हो ।

04/01/2021

वादी वकील उपस्थित / वादी का वाद संक्षिप्त
में इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी की भूमि
मोजा - इन्द्रोणियों का तला पटवार मण्डल - आनोड़ ~~तहसील~~
तहसील - गिड़ा जिला - बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर
क्रमशः - 335/21, 350/34, 335/34, 361/34 रकबा क्रमशः -
34.17, 30.00, 28.10, 25.00 बीघा, कुल रकबा - 117.17 बीघा
का आया हुआ है। उक्त वर्णित भूमि में मेरा नाम
पूरसिंह दर्ज कर दिया गया है लेकिन मेरा नाम अन्य
दस्तावेजो में देवीसिंह है कि उक्त मेरे नाम में भिन्नता
होने के कारण मुझे मेरी खातेदारी भूमि पर बैंक से ऋण
लेने प्रधानमंत्री आवास बनाने एवं अन्य सरकारी योजनाओं
का लाभ लेने में हर समय परेशानी रहती है। वादी के
खातेदारी भूमि ग्राम इन्द्रोणियों का तला पटवार मण्डल -
आनोड़ तहसील - गिड़ा जिला - बाड़मेर के खेत खसरा
नम्बर क्रमशः :- 335/21, 350/34, 353/34 व 361/34
रकबा क्रमशः :- 34.17, 30.00, 28.10, 25.00 बीघा कुल रकबा -
117.17 बीघा की भूमि में वादी का दर्ज गलत नाम

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पूरसिंह पुत्र ख्यानसिंह के स्थान पर सही नाम देवीसिंह पुत्र ख्यानसिंह राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने का आदेश किया जावें। हमने वादी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई, पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, भामाशाह कार्ड व राशन कार्ड तथा ग्राम पंचायत कानोड़ द्वारा जारी प्रमाण-पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें वादी का नाम देवीसिंह पुत्र ख्यानसिंह दर्ज है जो सही है। व ग्राम पंचायत कानोड़ द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी बताया गया कि पूरसिंह व देवीसिंह एक ही व्यक्ति के नाम है इस नाम का ग्राम कानोड़ में अन्य कोई व्यक्ति नही है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व रेकर्ड में वादी के गलत नाम पूरसिंह पुत्र ख्यानसिंह के स्थान पर सही नाम देवीसिंह पुत्र ख्यानसिंह किये जाने का आदेश किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी मौजा-इन्द्राणियों का तला पटवार मण्डल कानोड़ तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर क्रमशः:- 335/21, 350/34, 335/34 व 361/34 रकबा क्रमशः:- 34.17, 30.00, 28.10 व 25.00 बीघा कुल रकबा-117.17 बीघा भूमि में वादी के गलत नाम पूरसिंह पुत्र ख्यानसिंह के स्थान पर सही नाम देवीसिंह पुत्र ख्यानसिंह राजस्व रेकर्ड में कीये जाने का आदेश किया जाता है। तहसीलदार गिड़ा निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।	

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	डिग्री पूर्वा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नावा के हुक्म हो, दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

इजलास श्री विवेक व्यास R.A.S. बनाम तहसीलदार गिड़ा

दावा बाबत देवीसिंह पुत्र खानसिंह राजपूत नि० इन्द्रोणियों का तला (झनोड़)

मुकदमा नं. 107/20 सन् 2020

यह मुकदमा आज इनाफिसाल कलई रूबरू न्यायालय

व हाजरी श्री खेताराम जाखड़ एड० मिनजानिब मुदई व —

मिनजानिब मुदायली पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी की खातेदारी भूमि मौजा- इन्द्रोणियों का तला पटवार मण्डल- झनोड़ तह० गिड़ा के खेत खसरा नम्बर क्रमशः- 335/21, 350/34, 335/34 व 361/34 रकबा क्रमशः- 34.17, 30.00, 28.10 व 25.00 बीघा कुल रकबा- 117.17 बीघा भूमि में वादी के गलत नाम पूरसिंह पुत्र खानसिंह के स्थान पर देवीसिंह पुत्र खानसिंह राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कीये जाने का आदेश किया जाता है। तहसीलदार गिड़ा निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

कौम ✓ मुबलिंग ✓ बाबत् ✓

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह ✓ फीसदी सालाना आज की तारीख से

तारीख बसूलयाबी तक ✓ को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04 माह 01 2021 को जारी की गई।

दस्तखत [signature]
सहायक कलक्टर

मुहर

ओहदा (SDO) बायतु

मुद्दई	रूपया	पै.	मुदई	रूपया	पै.
स्टाम्प अजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमीशनर			फीस कमीशनर		
बाबत इजराल हुकमनामा			बाबत इजराज हुकमनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।